

## जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर

क्रमांक : जोधपुर डिस्कॉम/अज-पी०पी०एण्ड एम०/फा० सामान्य शाखा/प्रे० 676 दिनांक : 1-7-2002

संशोधन

**विषय :- कृषि कनेक्शनों को निगम के किसी भी विद्युतिकृत गांव में स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में ।**

निगम के आदेश क्रमांक जोधपुर डिस्कॉम/अज-पी०पी०एण्ड एम०/फा० सामान्य शाखा/प्रे० 610 दिनांक 20-6-2002 (आर.ई.ओ.18) द्वारा पैग(1) में वर्णित नीचे लिखा पत्राचार ।


1. यदि कनेक्शन ही जाने पर परिस्थितियों के दबाव के कारण कनेक्शन बंदी रखना उपभोक्ता के लक्ष्य में नहीं हो तो कनेक्शन निगम के किसी भी विद्युतिकृत गांव में मीटर प्रणाली से उन्नी श्रेणी में स्थानान्तरित किया जा सकता है । यह सुविधा नास्तिक उपभोक्ता (GENUINE CONSUMER) को ही देय होगी एवं फुर्ला खुदवाने के लिये राज्य सरकार द्वारा भूमि के लॉज पर आवंटन होने पर भी कनेक्शन को शिफ्ट किया जा सकेगा ।



(ए०एच०देवडा)  
उप-मुख्य अभियन्ता(मुख्यालय)  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाओं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सचिव, ऊर्जा विभाग, जयपुर ।
2. सभासदीय मुख्य अभियन्ता (परि एव सभा-जोधपुर जोन / बीकनेर जोन), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर / बीकनेर ।
3. मुख्य लेखाधिकारी / वित्तिय सहायकार, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
4. उप-मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
5. उप-मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा), रीको जयपुर ।
6. अधीक्षण अभियन्ता (नगर/जिला/परि एव सभा/पीपीएण्डएम/पदार्थ प्रवन्ध/एम एण्ड पी/बीकनेर), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/पाली/बीकनेर/वाडगोर/जैसलमेर/चुरू/श्रीगंगानगर/हनुमानगढ़ ।
7. थिरेक्ट लेखाधिकारी, (परि एव सभा/एमएम/अकंक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर/बीकनेर ।
8. सिविल सचिव, माननीय ऊर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर ।
9. उप-अधीक्षक पुलिस (सतकंठा), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
10. कम्पनी सचिव/उपनिदेशक (पी), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
11. आंधशापी अभियन्ता (विधि/एमआईएस/आन्तरिक अकंक्षण), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
12. अधीक्षण अभियन्ता (पक्स/चांगिनि), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर को अपने अधीनस्थ सभी सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता/सहायक राजस्व अधिकारी को वितरण हेतु आतिरेकित प्रतिलिपियों सहित ।
13. तकनीकी सहायक, माननीय अध्यक्ष एवं प्रवन्ध निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम/अजमेर डिस्कॉम/जयपुर डिस्कॉम, जोधपुर/अजमेर/जयपुर को माननीय अध्यक्ष एवं प्रवन्ध निदेशक के अवकाशकार्थ ।
14. जनसम्पर्क अधिकारी, जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।
15. लेखाधिकारी (आणिज्य), जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।



(ए०एम०लोदा)  
अधीक्षण अभियन्ता(पीपीएण्डएम),  
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर ।